

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2003

का.आ. 691(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 862 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने वासो आरोग्य मंडल, श्री सी० एम० शाह जनरल हास्पिटल, खेडा, गुजरात द्वारा वासो, नाडियाड में भवन निर्माण, उपस्करों की खरीद और अस्पताल को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था; तथा जिसे बाद में दिनांक 23 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 157 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वासो आरोग्य मंडल, श्री सी० एम० शाह जनरल हास्पिटल, खेडा, गुजरात द्वारा वासो, नाडियाड में चलाई जा रही भवन निर्माण, उपस्करों की खरीद और अस्पताल को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल बयालीस लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है